



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 326]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 जुलाई 2019—श्रावण 5, शक 1941

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2019

क्रमांक-एफ-3-8-2006-दस-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भर्ती) नियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 23 (क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"23(ख) राज्य वन सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिये पात्रता की शर्त :-

- (1) "राज्य वन सेवा के केवल ऐसे अधिकारी अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिये विचारण के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने उक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रवर श्रेणी में उस वर्ष की पहली जनवरी को सेवा के 6 वर्ष पूर्ण कर लिए हों :

परन्तु आपात् आयोग तथा अल्प सेवा आयोग के निर्मुक्त अधिकारियों की सेवा की गणना, सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात्, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266/197/1(3) 67, दिनांक 21 अक्टूबर, 1967 के अनुसार अवधारित उनकी नियुक्ति की समझी गई तारीख से की जायेगी;

परन्तु यह और कि, कोई कनिष्ठ व्यक्ति, उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व, इन नियमों के अधीन सेवा की वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति हेतु विचारण के लिए केवल इस आधार पर पात्र नहीं होगा कि उसने सेवा के विहित वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।

- (2) राज्य वन सेवा के प्रवर श्रेणी में कार्यरत अधिकारियों को, अनुसूची-चार में दिये गये सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति द्वारा, सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी की नियुक्ति के लिए चयनित किए जाने हेतु विचार किया जाएगा।
- (3) चयन "वरिष्ठता-सह-योग्यता" के आधार पर किया जाएगा।
- (4) उक्त नियम दिनांक 13.04.2017 से प्रवृत्त हुये समझे जाएंगे।

2. अनुसूची-एक, दो तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अनुसूची - एक

(नियम-5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या	पदों की संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
		स्थाई	अस्थाई	योग			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वन विभाग	सहायक वन संरक्षक-कनिष्ठ वेतनमान	196	1	197	द्वितीय श्रेणी	56,100-1,77,500 राज्य शासन वेतन पुनरीक्षण सारणी में लेवल-12	स्वीकृत पदों का 55%
	सहायक वन संरक्षक-वरिष्ठ वेतनमान	90	--	90	प्रथम श्रेणी	67,300-2,06,900 राज्य शासन वेतन पुनरीक्षण सारणी में लेवल-13	स्वीकृत पदों का 25%
	सहायक वन संरक्षक-प्रवर श्रेणी वेतनमान	54	--	54	-तदैव-	79,900-2,11,700 राज्य शासन वेतन पुनरीक्षण सारणी में लेवल-14	स्वीकृत पदों का 15%
	सहायक वन संरक्षक-वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान	18	--	18	-तदैव-	1,23,100-2,15,900 राज्य शासन वेतन पुनरीक्षण सारणी में लेवल-15	स्वीकृत पदों का 5%
	योग	358	1	359			

अनुसूची - दो
(नियम-6 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	संवर्ग में सहायक वन संरक्षक के कुल स्वीकृत पद	कॉलम 3 के अनुसार भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता		वेतनमान में स्वीकृत पदों की संख्या		कॉलम (6) में उल्लिखित पदों की प्रतिशतता के अधीन भरे जाएंगे
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	वेतनमान	पदों की संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वन विभाग	मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा	359	33 1/3%	66 2/3%	कनिष्ठ वेतनमान	197	-
					वरिष्ठ वेतनमान	90	100%
					प्रवर श्रेणी	54	100%
					वरिष्ठ प्रवर श्रेणी	18	100%
योग		359	-	-	-	359	-

अनुसूची - चार
(नियम -16, 17, 23, 23(क) एवं 23(ख) देखिये)

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति/समयमान वेतनमान की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति/समयमान वेतनमान की जानी है	पदोन्नति/समयमान वेतनमान हेतु न्यूनतम अर्हता अवधि/अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
वन विभाग	1. मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा- वन क्षेत्रपाल (द्वितीय श्रेणी)	मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा- सहायक वन संरक्षक- कनिष्ठ वेतनमान	नियम 17 के अनुसार	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य -अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग -सदस्य 3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख -सदस्य 4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-दो) - -सदस्य सचिव 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का नामनिर्दिष्ट अधिकारी जो क्रमांक 4 के समकक्ष श्रेणी का हो	

2. मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा-सहायक वन संरक्षक- (कनिष्ठ वेतनमान)	मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा-सहायक वन संरक्षक- वरिष्ठ वेतनमान	नियम 23 के अनुसार	<ol style="list-style-type: none"> 1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग -अध्यक्ष 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख -सदस्य 3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-एक) -सदस्य 4. अपर सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग- -सदस्य सचिव 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के नामनिर्दिष्ट अधिकारी जो अनुक्रमांक 3 के समकक्ष श्रेणी का हो।
--	---	-------------------	---

3. मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा-सहायक वन संरक्षक- वरिष्ठ वेतनमान	मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा-सहायक वन संरक्षक- प्रवर श्रेणी वेतनमान	नियम 23 (क) के अनुसार	-तदैव-
4. मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा-सहायक वन संरक्षक- प्रवर श्रेणी वेतनमान	मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा-सहायक वन संरक्षक- वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान	नियम 23 (ख) के अनुसार	-तदैव-

N0-F 3-8/2006/X-1— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh State Forest Service (Recruitment) Rules, 1977, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,

1. After rule 23(A), the following rule shall be inserted, namely :-

"23(B) Conditions of eligibility, for appointment to Senior Selection grade of the Officers of the State forest Service.

- (1) Only such officers of the State Forest Service shall be eligible for consideration for appointment to the senior selection grade as specified in Schedule-I, who have completed 6 years of the service on the 1st January of that year in the selection grade as specified in the said schedule :

Provided that service of released officers of the Emergency Commission and Short Service Commission shall, after their appointment to the service, be counted from their deemed date of appointment determined in accordance with the General Administration Department's memorandum No. 2266/197/1(3) 67, dated the 21st October, 1967 :

Provided further that no junior person shall be eligible for being considered for appointment to the Senior Selection Grade of the service under these rules prior to his senior merely on the ground of having completed the prescribed number of years of service.

- (2) Officers working in the Selection Grade of the State Forest Service shall be considered for being selected for appointment to the Senior Selection Grade of the Service by a Committee consisting of members as given in Schedule IV.
- (3) The selection shall be done on the basis of seniority-cum-merit.
- (4) The above rules shall be deemed to have come into force from 13.04.2017.

2. For Schedule - I, II and IV, the following Schedules shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-1
(See Rule-5)

Classification Pay Scale and Number of the Posts included in the service

Name of Department	Number of the Posts included in the service	Number of Posts			Classification	Pay Scale	Remarks
		Permanent	Temporary	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Forest Department	1. Assistant Conservator of Forest-Junior Scale	196	1	197	Class II	56,100-1,77,500 Level-12 in the State Government Pay Revision Table	55% of the sanctioned posts
	2. Assistant Conservator of Forest-Senior Scale	90	-	90	Class I	67,300-2,06,900 Level-13 in the State Government Pay Revision Table	25% of the sanctioned posts
	3. Assistant Conservator of Forest-Selection Grade	54	-	54	-do-	79,900-2,11,700 Level-14 in the State Government Pay Revision Table	15% of the sanctioned posts
	4. Assistant Conservator of Forest-Senior Selection Grade	18	-	18	-do-	1,23,100-2,15,900 Level-15 in the State Government Pay Revision Table	5% of the sanctioned posts
Total		358	1	359			

SCHEDULE-II

(See Rule-6)

Name of Department	Name of the service	Total Sanction Posts of Assistant Conservator of Forest in the cadre	Percentage of Number of Posts to be filled as per column (3)		Number of Sanctioned Posts in the Pay Scale		Percentage of the Posts mentioned in column (6) to be filled as under
			By direct Recruitment	By Promotion	Pay Scale	Number of Posts	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Forest Department	Madhya Pradesh State Forest Service	359	33 1/3%	66 2/3%	Junior Pay Scale	197	-
					Senior Pay Scale	90	100%
					Selection Grade	54	100%
					Senior Selection Grade	18	100%
Total		359				359	

SCHEDULE-IV
(See Rule-16, 17, 23, 23(A) and 23(B))

Name of Department	Name of the Service or post from which promotion/time Scale is to be made	Name of the Service or post to which promotion/ time Scale is to be made	Minimum Qualification tenure/ Experience for promotion/time Scale	Member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
1	3	4	5	6	7
Forest Department	1. Madhya Pradesh State Forest Service- Forest Ranger (Class-II)	Madhya Pradesh State Forest Service -Assistant Conservator of Forest- Junior Scale	As per Rule-17	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or a Member of the Commission nominated by him - Chairman 2. Additional Secretary/Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Forest Department - Member 3. Principal Conservator of Forest and Head of the Forest Force - Member 4. APCCF/CCF (Admin-II) - Member Secretary 5. A Nominated Officer of Schedule Caste/Schedule Tribes Category of equivalent rank of Serial Number 4	
	2. Madhya Pradesh State Forest Service- Assistant Conservator of Forest-Junior Scale	Madhya Pradesh State Forest Service -Assistant Conservator of Forest -Senior Scale	As per Rule-23	1. Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Forest Department -Chairman 2. Principal Chief Conservator of Forest and Head of the Forest Force - Member 1. APCCF/CCF (Admin-I) - Member 2. Additional Secretary / Deputy Secretary Government of Madhya Pradesh, Forest Department - Member Secretary 3. A Nominated Officer of Schedule Caste/Schedule Tribes Category of equivalent rank of Serial Number 3	
	3. Madhya Pradesh State Forest Service -Assistant Conservator of Forest -Senior Scale	Madhya Pradesh State Forest Service -Assistant Conservator of Forest - Selection Grade	As per Rule-23 (A)	Do	
	4. Madhya Pradesh State Forest Service -Assistant Conservator of Forest - Selection Grade	Madhya Pradesh State Forest Service -Assistant Conservator of Forest -Senior Selection Grade	As per Rule-23 (B)	Do	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.